



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 1691-पारे०अनु०-16/पाट्राकालि-2015-33/2015

दिनांक: 24 जुलाई, 2015

1. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/स्तर- II),
2. समस्त महाप्रबन्धक/उप-महाप्रबन्धक/उप-मुख्यलेखाधिकारी,
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/समस्त अधिशासी अभियन्ता,
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।

विषय: चिकित्सा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्ववर्ती परिषदादेश सं०-1694-पी/राविप-तीस-27-पी/1988 दिनांक 11.11.1988, का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चिकित्सा भत्ता की दरें दिनांक 01.07.1988 से निम्नवत् पुनरीक्षित की गई थी:-

वेतन सीमा	दर प्रति माह
रु० 3000/- तक	वेतन का 03 प्रतिशत, किन्तु न्यूनतम रु० 30/- तथा अधिकतम रु० 60/- प्रतिमाह
रु० 3000/- के उपरान्त	वेतन का 02 प्रतिशत, किन्तु न्यूनतम रु० 60/- तथा अधिकतम रु० 100/- प्रतिमाह

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश है कि कारपोरेशन के निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में वर्तमान में अनुमन्य चिकित्सा भत्ता की उपरोक्त दरें पुनरीक्षित वेतन संरचना में समस्त कार्मिकों को समरूपता में दिनांक 04.07.2015 से रु० 200/- प्रतिमाह अनुमन्य करायें जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
3. उपरोक्त के फलस्वरूप अलग से वेतन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।


निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 1691(i)-पारे०अनु०-16/पाट्राकालि-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. श्री पंकज सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,


(अशोक कुमार गुप्ता)
कार्य० अपर सचिव (पारेषण)